राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांक :– प.10(567) परि/स.सु./स्टेट काउंसिल/2015/37673 जयपुर, दिनांक :–15/06/17

माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में "स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल" की दिनांक 29.05.2017 को आयोजित 13वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में "स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल" की 13वीं बैठक दिनांक 29.05.2017 को शासन सचिवालय स्थित मुख्य भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधिगण की सूची परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है।

बैठक में सर्वप्रथम माननीय परिवहन मंत्री महोदय द्वारा तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर गत दो वर्षों में पहली बार राज्य में सड़क दुर्घटनाओं एवं इनसे कारित घायलों तथा मृतकों की संख्या में निरन्तर कमी आने पर संतोष व्यक्त किया तथा इस क्षेत्र में समस्त हितधारकों के समन्वित प्रयासों की सराहना की गयी। साथ ही उनके द्वारा सड़क दुर्घटना के आंकड़ों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए भविष्य में भी लगातार गंभीर प्रयासों की आवश्यकता बतायी गई एवं माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया।

तत्पश्चात् प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त द्वारा बैठक के एजेन्डा पर बिन्दुवार प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया जिस पर विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् निम्न निर्णय लिए गए :–

1. अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 19.12.2016 को आयोजित गत बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही गत निर्णयों की निरन्तरता में निम्न निर्देश दिए गए:

   (i) नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा शिक्षा विभाग को प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ में तत्काल पूर्णकालिक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए।

   (ii) राज्य भर में सख्ती से हेलमेट प्रावधानों की पालना कराने हेतु उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन एवं जागरूकता हेतु नियमित अभियान चलाये जाने के लिए पुलिस एवं परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया।

   (iii) उद्योग विभाग के माध्यम से घटिया हेलमेट निर्माताओं/विक्रेताओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कराने हेतु भी निर्देशित किया गया।

   (iv) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के कुछ बस स्टैण्ड्स पर सड़क सुरक्षा होर्डिंग्स प्रदर्शित कर दिए गए हैं। शेष बस स्टैण्ड्स पर भी इसी वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा के संदेश का होर्डिंग प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया।

   (v) इस वर्ष (2017–18 में) आयोजित किये जा रहे जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान में परिवहन विभाग के माध्यम से जिला स्तर पर पूर्व में गठित 60 स्वयं सेवी संस्थाओं का सक्रिय सहयोग लेने के निर्देश दिये गये।

2. माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी द्वारा आयोजित गत बैठक दिनांक 12.05.2017 में दिये गये नवीनतम निर्देशों की पालना हेतु निम्न निर्णय लिये गए हैं :–

   (i) राज्य के समर्पित सड़क सुरक्षा कोष के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा बैठक दिनांक 12.05.2017 में निर्देश दिए गए थे कि राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि उक्त फण्ड Non lapsable हो। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

(ii) माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी द्वारा कतिपय उल्लंघनों के विरूद्ध बनाये गये कुल चालानों की तुलना में लाइसेंस निलम्बन अनुशंसा के अत्यंत कम प्रतिशत पर गम्भीर असंतोष व्यक्त किया गया था। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा अब तक की गई कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त करते हुए भविष्य में समिति के निर्देशों की पूर्णतः पालना करने के निर्देश दिए गए। इस क्रम में पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना में लाल बत्ती उल्लंघन, तेज गति, ओवर लोडिंग, भार वाहनों में यात्री परिवहन, नशे में वाहन चलाने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने संबंधी उल्लंघनों पर बनाए गए समस्त चालानों पर अनिवार्य रूप से लाइसेंस निलम्बन की अनुशंषा करने एवं अनुशंषा के आधार पर नियमानुसार लाइसेंस निलम्बित करने की कार्यवाही की जावे।

(iii) वार्षिक प्रोटोकॉल के अनुरूप ब्लैक स्पॉट दुरूस्तीकरण एवं पोस्ट ऑडिट के अतिरिक्त नवीन सड़कों के निर्माण के समय ही सड़क सुरक्षा के समस्त प्रावधानों की पालना करने हेतु कुल निर्माण राशि का 0.5 से 1.0 प्रतिशत निर्धारित करने हेतु रोड ओनिंग एजेन्सीज़ को निर्देशित किया गया।

(iv) गति सीमा के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन हेतु नियमित रूप से सघन जाँच अभियान चलाये जाने के लिए पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये।

(v) स्पीड गवर्नर के प्रावधान सख्ती से लागू करवाने हेतु परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा नियमित प्रवर्तन कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

(vi) राज्य में अधिक मृत्युदर वाली सड़कों (उच्च मार्ग एवं शहरी मार्ग) पर स्पीड कैमरा/स्पीड गन लगाने के प्रस्ताव तैयार कर सड़क सुरक्षा कार्ययोजना में सम्मिलित कराने का निर्णय लिया गया।

(vii) गलत दिशा में वाहन चलाने वाले उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध आपराधिक मुकदमें दर्ज करने के निर्देश दिये गये।

(viii) रोड ओनिंग एजेन्सीज को गति नियंत्रण व्यवस्था यथा नियमानुसार स्पीडब्रेकर, रम्बल स्ट्रिप, स्पीड लिमिट साईन बोर्ड्स का प्रदर्शन इत्यादि हेतु नियमित कार्यवाही कर रिपोर्ट सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किए गए।

(ix) रोड ओनिंग एजेन्सीज को पदयात्रियों के लिए फुटपाथ, अतिक्रमण हटाना, सड़क पार करने की समुचित व्यवस्था, शोल्डर निर्माण इत्यादि की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कार्यवाही कर नियमित रिपोर्ट सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किए गए।

(x) माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी के निर्देशानुसार प्रत्येक रोड ऑनिंग एजेन्सी द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम 20 प्रतिशत सड़कों की सड़क सुरक्षा ऑडिट करवाने के सम्बन्ध में रोड ओनिंग एजेन्सीज को निर्देशित किया गया।

(xi) प्रभावी हाईवे पेट्रोलिंग से सम्बन्धित कार्यवाही के लिए यथा लेन व्यवस्था, अवैध रूप से पार्क किये गये वाहनों एवं सड़क पर अवरोधों को हटवाने इत्यादि हेतु पुलिस विभाग एवं एन.एच.ए.आई. द्वारा निरन्तर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

3. वर्ष 2017–18 में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में 10 प्रतिशत कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में जिले वार कार्ययोजना जिला कलक्टर्स द्वारा जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से तैयार कराकर दिनांक 30.06.2017 तक आवश्यक रूप से सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को भिजवाने के निर्देश दिये गये।

4. वर्ष 2017–18 की सड़क सुरक्षा वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण की निम्न कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया :–

क्र.सं.	गतिविधि	क्रियान्विति हेतु सम्बन्धित विभाग/एजेन्सी	कुल अनुमानित व्यय (लाखों में)
1	जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान	प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय (3.00 लाख X 19 जिले)	57.00
2	सड़क सुरक्षा गतिविधियों हेतु (प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय को 5–5 एवं जिला परिवहन कार्यालय को 3–3 लाख रू.)	प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय	177.00
3	उदयपुर संभाग (उदयपुर, चित्तौड़ गढ़, प्रतापगढ़, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाड़ा) के जीवन वाहिनी एवं प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों को सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित चालन प्रशिक्षण	आई. डी. टी. आर. रेलमगरा Ashok Leyland Vehicle Driver Training Institute	7.62 (TA वास्तविक)
4	उदयपुर संभाग (उदयपुर, चित्तौड़ गढ़, प्रतापगढ़, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाड़ा) के सिटी ट्रांसपोर्ट के व्यावसायिक वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित चालन प्रशिक्षण	आई. डी. टी. आर. रेलमगरा Ashok Leyland Vehicle Driver Training Institute	12.71 (TA वास्तविक)
5	अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों के पुलिस थानो को सड़क सुरक्षा सुधार कार्य करवाने हेतु	राजस्थान पुलिस (821 थाने X 10,000)	82.10
6	चालान व्यवस्था के डिजिटाइज़ेशन हेतु डिवाइस	राजस्थान पुलिस	205.24
7	पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में एस एम एस मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेन्टर में जे पी एन एपेक्स ट्रॉमा सेन्टर, एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से बी एल एस ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग	25.00
8	जे पी एन एपेक्स ट्रॉमा सेन्टर, एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से बी एल एस ट्रेनिंग मैन्युअल का निर्माण	जे पी एन एपेक्स ट्रोमा सेन्टर, एम्स, नई दिल्ली	5.00
9	मोस्ट सेफ स्कूल परियोजना	सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से	38.48
10	एग्रेसिव रोड सेफ्टी सोशल केम्पेन। वेब साईट, फेसबुक, सोशल मीडिया, डोनेट स्पेस इत्यादि	तारामणी संस्था के माध्यम से	12.00
	योग		622.15

नोट :– परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित कलैण्डर के अनुरूप प्रत्येक जिले में आयोजित किये जा रहे जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान हेतु (जयपुर व जोधपुर में 2–2) को 3–3 लाख रू. आवंटित करने की सैद्धान्तिक सहमति दी गयी। इसी क्रम में इस वर्ष 19 जिलों में आयोजित होने वाले जन जागरूकता अभियान हेतु 57 लाख रू. देने का निर्णय लिया गया।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त बैठक में कुछ अन्य निर्णय निम्नानुसार लिए गए :–

(i) सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक, यातायात, पुलिस से संपर्क कर सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली सड़क सुरक्षा लघु फ़िल्म/क्लिप की अवधि को घटाकर एक मिनट का किया जावे एवं उसे और अधिक प्रभावी बनाया जावे।

(ii) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों हेतु समस्त ग्राम पंचायत/नगर निकायों की सूची प्राप्त कर माननीय परिवहन मंत्री, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री महोदय के सड़क सुरक्षा संदेश

तैयार कर प्रेषित किये जावें एवं इस हेतु संबंधित विभाग से वार्ड मेम्बर, सरपंच, एवं वार्ड पार्षद की सूची प्राप्त की जावे।

(iii) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के समानान्तर बनने वाली सड़कों पर अंधे मोड़ नही बनाये जाने एवं सीधे सरल रास्ते को निर्माण करने के साथ–साथ पुरानी सड़कों का जीर्णोधार करने हेतु रोड ओनिंग एजेन्सीज़ को निर्देश दिये गये।

(iv) स्कूलों में प्रार्थना सभा में सड़क सुरक्षा संदेश देने हेतु लघु फिल्म एवं ऑडियो का निर्माण किया जावे।

(v) राजस्थान रोड सेक्टर मॉर्डनाइजेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में तैयार किये जा रहे 10 स्वयं सेवकों को परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे जिला स्तर के सड़क सुरक्षा जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं अन्य सड़क सुरक्षा गतिविधियों में भी सक्रिय सहयोग सुनिश्चित किया जावे।

(vi) राजस्थान रोड सेक्टर मॉर्डनाइजेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जावे।

(vii) बैठक में उपस्थित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव परीक्षणोपरान्त उचित पाये जाने पर कौंसिल की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अंत में मुख्य अभियंता (पीएमजीएसवाई) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ल्ड बैंक पोषित राजस्थान रोड सेक्टर मोर्डनाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत् कार्यरत 6 स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा राज्य के 7 संभागों में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित किये गये कार्यों का प्रजेन्टेशन दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा पंचायत स्तर पर जन जागृति कार्यक्रमों की सराहना की गयी।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः– एफ 10(567) परि/स.सु./स्टेट कौंसिल/2015/37874-907 जयपुर, दिनांक 15/06/17

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप सचिव (बी.सी.), माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त व सदस्य सचिव स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, यातायात, राजस्थान, जयपुर।

14. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
15. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, जयपुर।
17. निजी सचिव, मुख्य अभियंता (पीएमजीएसवाई), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
18. निजी सचिव, मुख्य अभियंता (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
19. मुख्य महाप्रबन्धक एवं क्षेत्रीय अधिकारी, एन.एच.ए.आई, एफ–120, जनपथ, श्यामनगर, जयपुर।
20. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज (ऑटो मोबाईल इंजिनियर), जयपुर।
21. निदेशक, सेंटर फॉर रोड़ सेफ्टी, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, कैम्पस– एस–7, मोहन नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
22. प्रतिनिधि, चार पहिया मोटर वाहन निर्माता।
23. प्रतिनिधि, दुपहिया पहिया मोटर वाहन निर्माता।
24. प्रतिनिधि, चार पहिया मोटर वाहन डीलर्स।
25. प्रतिनिधि, दुपहिया मोटर वाहन डीलर्स।
26. प्रतिनिधि, ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन।
27. प्रतिनिधि, स्टेट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
28. प्रतिनिधि, कॉन्ट्रेक्ट कैरिज ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
29. प्रतिनिधि, टैक्सी/ऑटो ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
30. प्रतिनिधि, सम्भाग स्तर से सडक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्था।
31. मैनेजिंग ट्रस्टी, सहायता संस्था, 297, तरूछाया नगर, टोंक रोड़, जयपुर।
32. मैनेजिंग ट्रस्टी, मुस्कान संस्था, 45, हरिकिशन सोमानी मार्ग, हथरोई, अजमेर रोड़, जयपुर।
33. जन सम्पर्क अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
34. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त (स.सु.)